संख्या एक/41वी वाहिनी/भा.ति.सी.पु./स्था-2/न्यायिक जाँच(रमेश कुमार)/2024- 6747
कार्यालय सेनानी, 41वी वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल
गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, जिला-खोर्धा(ओड़िशा), पिन-752055
ई मेल-itcell41stbn@itbp.gov.in

दिनांक : 11.09.2024

नोटिस

दल संख्या 140380605 कॉंस्टेबल(जी.डी.) रमेश कुमार, 'ब' समवाय, 41वीं वाहिनी भातिसीपु बल सुपुत्र स्व. श्री मंगडू राम, गांव-बाखरा(हरदीपारा), डाकघर-बडे कनेरा, तहसील-कोण्डागॉव, थाना-कोण्डागॉव, जिला-कोण्डागॉव, राज्य-छत्तीसगढ़, पिन-494226 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 25.06.2024 से 11.07.2024 तक 15 दिन आकस्मिक अवकाश सामरिक मुख्यालय कोण्डागॉव (41वीं वाहिनी) से स्वीकृत किया गया था परन्तु आप बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के दिनांक 12.07.2024 (पूर्वा.) से अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है। आपको समय-समय पर अपनी ड्यूटी पर आमद देने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा, परन्तु आपने न तो अपनी आमद दी है और न ही उक्त विषय पर किसी भी प्रकार की सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराया है एवं बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृत अवकाश के स्वेच्छा से दिनांक 12.07.2024 (पूर्वा.) से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2676-78 दिनांक 18.07.2024, कार्यालय ज्ञापन सं0 5163-66 दिनांक 25.07.2024 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 5464-66 दिनांक 09.08.2024 के तहत आपको 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल मुख्यालय, विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, खोर्धा (ओडिशा) में उपस्थित होने के लिए बार-बार निर्देशित किया गया हैं परंतु आप वाहिनी मुख्यालय, 41वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल में आमद नहीं हुए है। इसके अलावा भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 72 एवं 73 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप में 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल के पत्रांक संख्या 1088-96 दिनांक 13.08.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला-कोण्डागॉव (छत्तीसगढ़) को आपको गिरफ्तार कर 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस को सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु पुलिस द्वारा अभी तक आपको इस वाहिनी के सुपुर्द नहीं किया गया है।

2. आपके दिनांक 12.07.2024 (पूर्वा.) से अवकाश से अनुपस्थित होने के कारण इस कार्यालय के आदेश संख्या-3035-36 दिनांक-21.08.2024 के तहत अवकाश से अनुपस्थित होने के कारणों का पता लगाने हेतु न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया एवं गठित न्यायिक जॉच समिति की संस्तुति के आधार पर 41वी वाहिनी के आदेश संख्या 6544-58 दिनांक 05.09.2024 के तहत आपको दिनांक 12.07.2024 (पूर्वा.) से बल से 'भगोडा' (Deemed to be a Deserter) घोषित किया गया है जिसकी प्रति पंजीकृत डाक के माध्यम से आपके गृहनगर के पते पर भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 6745 दिनांक 10.09.2024 के तहत आपको कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भी जारी किया गया है।

3. दल संख्या 140380605 कॉंस्टेबल(जी.डी.) रमेश कुमार, 'ब' समवाय, 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल पुत्र स्व. श्री मंगडू राम को पुनः सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर ड्यूटी हेतु अपनी आमद 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, जिला-खोर्धा, ओड़िशा में दें अथवा अपने बचाव में दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेगें।

11/09/24

एडज्यूटेंट
41वी वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल

CBC 19112/11/0127/2425